इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] भोपाल, रविवार, दिनांक 21 अगस्त 2022—श्रावण 30, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2022

एफ 22-57-2019-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 22-1-89, दिनांक 6 अगस्त, 1994 को निरस्त करते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित मोटर गाड़ियों को दिनांक 21 नवम्बर 2006 से नूतन समझौता स्वीकृत होने या प्रचलति समझौता निरस्त होने तक, अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित सीमा तक मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अधीन मोटरयान कर के भुगतान से छूट देता है, अर्थात्:—

अनुसूची

स.क्र. (1)	विवरण (2)	छूट सीमा (3)
1	मूल अनुज्ञापत्र या अस्थाई अनुज्ञापत्र से आच्छादित उत्तर प्रदेश राज्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा परिवहन निगम की माल वाहनें जिनके कर का भुगतान उत्तर प्रदेश में किया गया हो और जो मध्यप्रदेश में चित्रकूट के स्थानीय क्षेत्र में चलती हैं. (कर्वी की ओर से आने वाले उत्तर प्रदेश के मालयानों के लिए)	पूर्णतः छूट
2	मूल अनुज्ञापत्रों या अस्थाई अनुज्ञापत्रों अथवा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(8) के अंतर्गत जारी विशेष परमिट से आच्छादित उत्तर प्रदेश के मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी जो कर्वी की ओर से प्रविष्ट होती हो, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र जैसा कि पारस्परिक परिवहन समझौते में परिभाषित है, चल रही हो एवं ऐसी वाहनें ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए अनन्यत: परमिट रखते हैं.	पूर्णतः छूट

(1)	(2)	(3)
3	मध्यप्रदेश में पड़ने वाले चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से कर्वी की ओर के स्थान तथा मार्ग सम्मिलित होंगे:— 1. गुप्त गोदावरी 2. सती अनुसुईया आश्रम 3. स्फटिक शिला 4. जानकी कुण्ड 5. प्रमोद वन 6. कामतानाथ पर्वत (एक द्वार) 7. सीता चरण 8. हनुमान धारा 9. सीता रसोई 10. कोटिनाथ 11. देवांगन 12. रामघाट	—

F-22-57-2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 and in supersession of this Department Notification No. F-22-1-89-VIII(2), dated the 6th August, 1994 the State Government, hereby exempts the Motor Vehicles specified in column (2) of Schedule below, from payment of motor vehicles Tax payable under Section 3 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 in the State of Madhya Pradesh with effect from the 21st November 2006 up to the extent specified in column (3) of schedule, till such time as a new agreement is arrived at arrived at or the existing one is rescinded, namely:—

SCHEDULE

Sr. No. (1)	Description (2)	Extent of Exemption (3)
1	Goods vehicles covered with substantive or Temporary permit of the nominee of Uttar Pradesh and Transport Corporation of which tax has been paid in Uttar Pradesh operating within the Chitrakoot Local areas in Madhya Pradesh. (For goods carriges of Uttar Pradesh coming from Karvi side).	Total Exemption
2	Stage carriage / contract carriage of Uttar Pradesh covered with substantive permit or temporary permit or contract carriage of Uttar Pradesh covered with special permit issued U/S 88(8) entering from Karvi side, operating in the Chitrakoot Local Area as defined in the Reciprocal Transport Agreement and such Vehicles having permits exclusively for such local area.	Total Exemption

(1)	(2)	(3)
3	The following places and routes from the border of Uttar Pradesh towards Karvi will be included under the Chitrakoot Local area in Madhya Pradesh:— 1. Gupt Godavari 2. Sati Anusuiya Ashram 3. Sphatik Shila 4. Janaki Kund 5. Pramod Van 6. Kamtanath Parvat (Ek Dwar) 7. Sita Charan 8. Hanuman Dhara 9. Sita Rasoi 10. Kotinath 11. Devangan 12. Ramghat.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.